क्रि०पत्र-I (1)

मध्य प्रदेश शासन

वन विभाग

क्रमांक/एफ–25/36/2005/10–3 भोपाल/दिनांक 25 अक्टूबर, 2005

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
म0 प्र0, भोपाल।

विषयः–विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाली वनभूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अन्य भूमि वन विभाग को दिये जाने के संबंध में।

राज्य शासन एतद्द्वारा निर्णय लिया गया है कि विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अन्य भूमि वन विभाग को दिये जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाए:–

1. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के लिये व्यपवर्तन की प्रक्रिया में समय लग जाने इस हेतु प्रत्येक जिले में जिलाध्यक्ष ऐसी राजस्व भूमि चिन्हांकित कर लें जो कि वृक्षारोपण के उपयुक्त हो। ऐसी भूमि की सूची जिलाध्यक्ष द्वारा तैयार की जाकर वन विभाग को उपलब्ध कराई जावे। वन विभाग इस भूमि को लैण्ड बैंक में सूचीबद्ध करें। जब कभी भी वन भूमि के व्यपवर्तन की आवश्यकता हो, वांछित गैर वन भूमि इस तरह बनाये गये लैण्ड बैंक से दे दी जायेगी।
2. भूमि बैंक में उपलब्ध ऐसी गैर वन भूमि जो वृक्षारोपण के उपयुक्त नहीं है या अतिक्रमित है, वन भूमि के रूप में अधिसूचित या परिभाषित नहीं है, ऐसी भूमि को राजस्व विभाग को वापस करने के लिये वन विभाग को अधिकृत किया जाता है।
3. पूर्व में राज्य शासन ने यह निर्णय लिया था कि जिन जिलों में लैण्ड बैंक की भूमि अधिक मात्रा में काफी बड़े खण्डों के रूप में है, उसे वन विकास निगम को रोपण हेतु हस्तांतरित करने की पहल की जाए, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।
4. लैंड बैंक में वृक्षारोपण के उपयुक्त शेष लगभग 6000 है0 भूमि है, को उसे अन्य परियोजना के विरुद्ध समायोजन करने की कार्यवाही की जाए।
5. वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये स्थल विशेष प्रोजेक्ट तैयार करने के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी ज्ञाप क्रमांक/डी/3203/3827/2001/10–3 दिनांक 7–12–2001 में

अधिरोपित स्थल चयन की शर्त "चयनित क्षेत्र का न्यूनतम क्षेत्रफल 20 है0 तथा अधिकतम 50 है0 होगा" के स्थान पर निम्नानुसार संशोधित शर्त रखी जाती है:--

""चयनित क्षेत्र वन सीमा से लगा होने पर अथवा लैंड बैंक में भूमि उपलब्ध होने पर उसके न्यूनतम क्षेत्रफल की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाती है। परन्तु यदि चयनित क्षेत्र वन सीमा से 5 कि0मी0 की दूरी पर है तो न्यूनतम क्षेत्र 20 है0 होगा एवं अधिकतम क्षेत्रफल की कोई सीमा की बाध्यता नहीं है। यदि आवेदक संस्थान वन सीमा से 5 कि0मी0 से अधिक की दूरी पर स्थित कोई गैर वन भूमि उपलब्ध कराती है तो उस क्षेत्र हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के पूर्व राज्य शासन की अनुमति ली जावे।"

गैर वन भूमि की आवश्यकता के कारण अन्य विभागों के लंबित प्रकरणों जिनमें वन भूमि आवश्यक होती है, उनके द्वारा गैरवानिकी भूमि की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति लैंड बैंक से की जाए।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सतीश त्यागी)
अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वन वि0

पृ0 क्रमांक/एफ–25/36/2005/10–3 भोपाल/दिनांक अक्टूबर, 2005

प्रतिलिपि:--

1. अपर मुख्य सचिव, म0 प्र0 शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. सचिव, म0 प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल
7. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म0 प्र0, भोपाल
8. मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध), म0 प्र0, भोपाल
9. समस्त वन संरक्षक, म0 प्र0
10. समस्त कलेक्टर, म0 प्र0

11. समस्त वन मण्डलाधिकारी, म0 प्र0

12. निज सचिव, मान0 मंत्रीजी वन एवं सहकारिता, म0 प्र0

13. निज सचिव, मान0 मंत्रीजी ,राजस्व, महिला एवं बाल विकास, म0प्र0

14. निज सचिव, मान0 मंत्रीजी ,लोक निर्माण विभाग, म0प्र0

15. निज सचिव, मान0 मंत्रीजी ,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामाद्योग विभाग, म0प्र0

16. निज सचिव, मान0 मंत्रीजी ,जल संसाधन विभाग, म0 प्र0,

17. निज सचिव, मान0 राज्य मंत्री, लोक निर्माण विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग, म0प्र0

18. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

1156
28/10/05